

127

129

129

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना -4

कार्यालय आदेश

संचिका सं० - खा०/रिवेट/86/100/2015-16/2016-17

वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागीय ज्ञापांक-1088 दिनांक-14.03.2018 द्वारा खादी संस्था/समितियों को खादी उत्पादन के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी संस्थाओं को बिहार राज्य में किये गये कुल उत्पादन पर 10% छूट दिया जाना है।

01. वर्ष 2016-17 का कुल 02 खादी संस्था/समितियों को संलग्न सूची (अनुलग्नक) के अनुसार उत्पादन के आधार पर रू० 89,800.00 (नवासी हजार आठ सौ) मात्र भुगतान करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

02. उक्त दोनों संस्था को रिवेट मद में स्वीकृत राशि से 20% खादी ऋण मद में संलग्न सूचि के अनुसार कटौती करते हुए मो० 71,840.00 (एकहत्तर हजार आठ सौ चालीस) रुपये मात्र का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

03. उक्त राशि का भुगतान संस्था/समिति को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के रिवेट मद में उपलब्ध करायी गई राशि से की जायेगी।

04. खादी संस्थाओं द्वारा रिवेट की राशि चाटर्ड एकाउटेन्ट से सत्यापित कराया गया है, जिसे खादी बोर्ड के P.M.A Grant Thornton India LLP द्वारा भी जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के साथ-साथ भुगतान करने की अनुशंसा की गई है।

05. भविष्य में यदि इन दावा की अंकेक्षण जाँच महालेखाकार द्वारा करने के क्रम में कोई त्रुटिपूर्ण राशि अमान्य की जाती है, तो उसका समायोजन संबंधित संस्था/समिति से उनके बकाया दावा की राशि से या संस्था/समिति को एक मुश्त राशि बोर्ड में जमा करना पड़ेगा।

ज्ञापांक 58/304

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, ऋण/अंकेक्षण/रिवेट (योजना) पटना, दिनांक 07/08/2018
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (ऋण) को आदेश दिया जाता है कि खादी बोर्ड द्वारा खादी संस्था के जिम्मे खादी ऋण मद में 20% रिवेट दावा की राशि कटौती की गई है जिसका समायोजन करेंगे। कटौती की गई राशि को बोर्ड के ऋण बैंक खाता में जमा करेंगे। अनुलग्नक (सूची के अनुसार)

ज्ञापांक 58/304

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. उन्हें निदेश है कि your self RTGS/NEFT के द्वारा रिवेट दावा की राशि का भुगतान करेंगे। (अनुलग्नक सूची अनुसार) तथा बिहार स्टेट खादी एण्ड मिलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड, पटना के नाम से (अनुलग्नक) के अनुसार रेखांकित चेक के माध्यम से संस्था/समितियों का खादी ऋण मद में कटौती की गई राशि का समायोजन करेंगे।

128

ज्ञापक प०/३०४

पटना, दिनांक ०९/०८/१८

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/मंत्री, संस्था/समिति को उक्त भुगतान की जाने वाली रिवेट दावा में किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर संस्था/समितियों की जिम्मेवारी होगी और उक्त राशि का संस्था/समिति से वसूलनीय होगी।

०६-०८-१८

०८/०८/१८

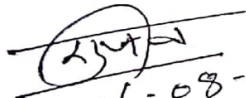
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
०८/०८/१८

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
गणेश भवन, गांधी मैदान पूरब, पटना 4

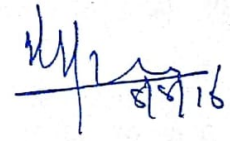
(127)

वर्ष 2016-17 का भुगतान (रिवेट दावा)

क्र०	संस्था/समिति का नाम	उत्पादन का ऑकड़ा रू० लाख में	कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत रिवेट भुगतेय राशि	भुगतेय राशि में से 20% प्रतिशत खादी ऋण मद में कटौती की गई राशि	समिति को भुगतेय राशि
1	2	3	4	5	6
1	डूमरा खादी ग्रामोद्योग संघ, ग्राम+पो0-डूमरा, भाया रूद्रपुर, मधुबनी	5.16	51600.00	10320.00	41280.00
2	आजाद खादी ग्रामोद्योग बुनकर सेवा संघ, लौफा, ग्राम+पो0-लौफा, भाया-झंझारपुर, मधुबनी	3.82	38200.00	7640.00	30560.00
		8.98	89800.00	17960.00	71840.00


06-08-18




बजे 16